अनुलग्नक (4)

(1)

FORM NO. III

(2021/ 66)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

शब्बीर अहमद पुत्र श्री मोहम्मद उमर निवासी पंचायत के सामने, ग्रा0पो0 आलनपुर जिला सवाईमाधोपुर (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 35/2021 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 24.05.2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.05.2021	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत दिनांक 15.03.2021 को आवेदन प्रेषित कर सी.एम.एच.ओ. करौली के द्वारा सी.एच.सी. करणपुर के लक्ष्मीकांत शर्मा को दी गई जॉईनिंग संबंधित सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने/उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रथम अपील दो प्रतियों में नही है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	611 31.05.2021